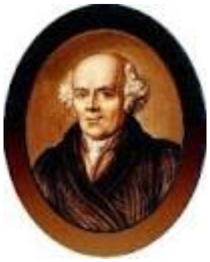

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्
CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का अवलोकन
An Overview of Activities & Achievements

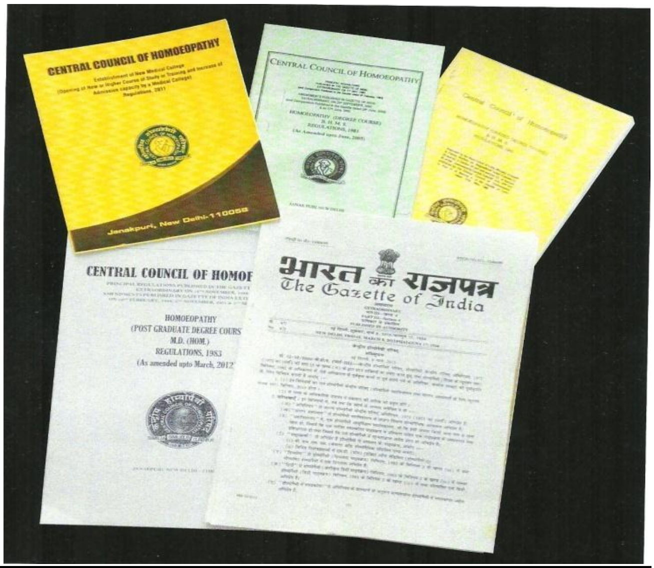

प्रकाशक / Publisher :

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्
CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY
(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक विधिक निकाय)
(A Statutory Body under the Ministry of AYUSH, Govt. of India)
जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन
Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhavan
नं0 61–65, इंस्टीट्युशनल एरिया, 'डी'–ब्लाक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
No.61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110 058

फोनः /Phone: 011- 28520607
011-28525582
फैक्स/ Fax: 011-28520691

ई–मेल/ E-mail:cchindia123@yahoo.com
वेबसाईट/Website: www.*cchindia.com*

INTRODUCTION

The Central Council of Homoeopathy has its office at New Delhi only. This Council is constituted by the Central Government under the provisions of Homoeopathy Central Council Act,1973. The Council makes the policies concerning education and practice in Homoeopathy, and such policies are implemented by its office which is lead by an Executive Officer known as Registrar-cum-Secretary.

The total number of sanctioned posts in the office of the Council is 35. Amongst the Officers in the Council, besides Registrar-cum-Secretary, one post of Inspector, two posts of Assistant Secretaries and three posts of Office Superintendents exist. These officers are assisted by one Junior Hindi Translator-cum-Head Clerk, one Steno Grade 'C' and one Steno Grade 'D', Nine UDCs,Nine LDCs, one Gestetnor Operator, One Daftri and five M.T.S.

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

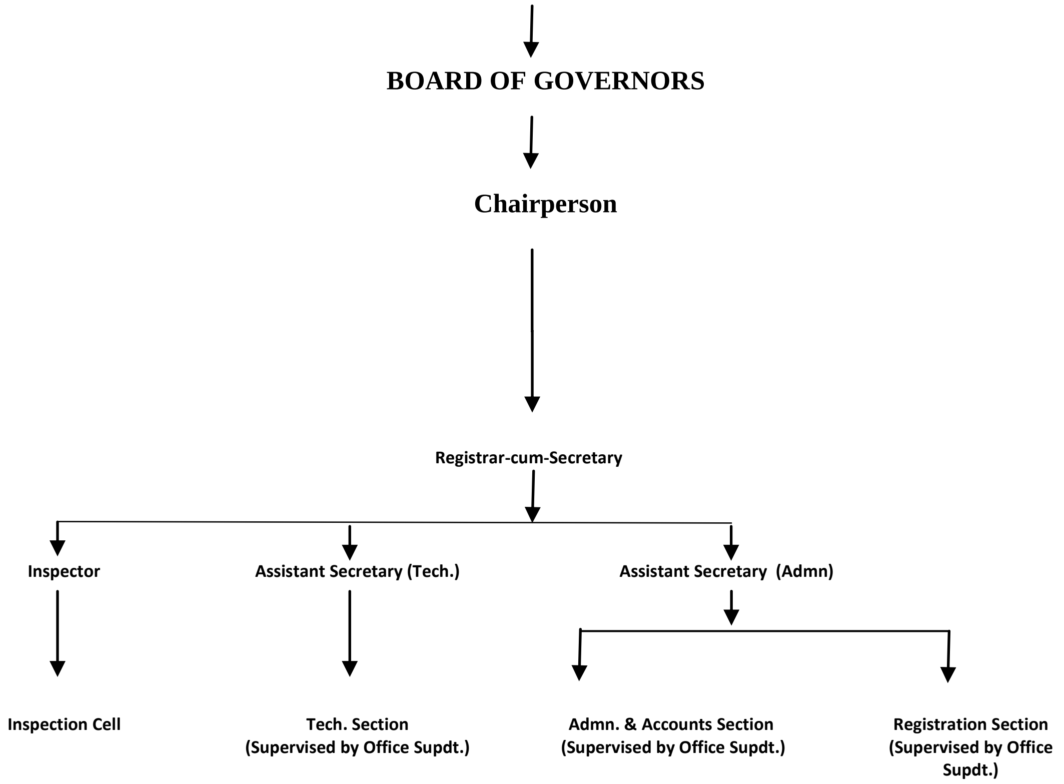

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

OBJECTIVES

1. To prescribe minimum standards of education in Homoeopathy.
2. To recommend to Central Govt. for permission of opening of new colleges, increase of seats and starting of new higher courses.
3. To advise/ recommend to Central Government recognition or withdrawal of recognition of medical qualifications in Homoeopathy.
4. To negotiate with the authority in any State or Country entrusted with maintenance of a Register of Homoeopathy Practitioners for settling a scheme of reciprocity for recognition of medical qualifications in Homoeopathy.
5. To maintain the Central Register of Homoeopathy.
6. To prescribe standards of professional conduct, etiquette and code of ethics to be observed by the Homoeopathic practitioners.

INSPECTIONS

The Central Council of Homoeopathy conducts inspection of Homoeopathic Medical Colleges to assess upto what extent the colleges fulfills minimum requirements standard prescribed by it.

The Central Council of Homoeopathy also undertakes inspection of examinations from time to time held by the Universities for BHMS Degree Course and/or for M.D.(Hom.) Courses at various Centres.

REGISTRATION

(a) CENTRAL REGISTER OF HOMOEOAPTHY

The Central Council of Homoeopathy maintains the Central Register of Homoeopathy in Part I and II which is based on the State Registers of Homoeopathy.

(b) DIRECT REGISTRATION

Central Council of Homoeopathy grants direct registration to the applicants desirous of it who apply for it on the basis of recognized medical qualification and State registration. Central Council also process applications received from such directly registered applicants for their additional qualification.

PERMISSION TO NEW COLLEGES, HIGHER COURSES AND FOR INCREASE IN INTAKE CAPACITY

The Central Council of Homoeopathy if receive any reference from Central Government in terms of Section 12 A of Homoeopathy Central Council Act,1973 for opening of a new college, for starting of new/higher courses or for increase in intake capacity, process the matter for making recommendation to Central Government.

RECOGNITION OF MEDICAL QUALIFICATION IN HOMOEOPATHY

The Council on receipt of a reference from Central Government in terms of Section 13 of Homoeopathy Central Council Act, 1973 process the matter and also undertake inspection of concerning colleges for making recommendation to Central Government. The Council has the authority to recommend to Central Government for inclusion of qualification in Homoeopathy awarded outside India in Third Schedule after setting a scheme for reciprocity. Recognised medical qualification as per Homoeopathy Central Council Act has been defined as "any of the medical qualifications in Homoeopathy included in the Second or the Third Schedule."

WITHDRAWAL OF RECOGNITION OF MEDICAL QUALIFICAITON

The Central Council of Homoeopathy where-ever observes from report of inspection that the particular college(s) is/are not meeting the prescribed minimum requirements standard or where the course of study and examinations to be undergone in or proficiency required from candidates at any examination of any University is found deficient, may recommend for withdrawal of recognition of qualification of the University concerned in respect of such college(s) .

MEETINS

The Board of Governors of Central Council of Homoeopathy and its Committees meet as per requirement for considering the various matters as per Homoeopathy Central Council Act, 1973 and Regulations made there-under to take the decisions (including the recommendations to be made to the Central Government, if any).

ACHIEVEMENTS

S. No.	Activities	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	Meetings of the Central Council and its Committees	29	33	31	26	40	Total 36 Meetings (including 7 Sub-Committee)	Total meetings 49 (including 17 Sub-Committee)	29	31
2.	Inspection	120	90	196	147	367	252	73	251	269
3.	Recommendations made in terms of Section 12A of HCC Act for								12	
	-new colleges	3	--	--	--	5	5	17	32	20
	-new/ higher Courses	6	6	--	1	6	4	10	7	06
	-increase in intake capacity	--	2	1	1	2	2	05	3	07
4.	Recommendation made for recognition of qualification	12	6	5	6	10	11	14	13	13
5.	Direct Registration	210	406	433	377	633	512	392	367	937

List of Priced Publications

S. No.	Name of Publication	Price
1.	Homoeopathy (Degree Course) Regulations, 1983 (As amended upto 2016)	Rs. 100/-
2.	Homoeopathy (Graded Degree Course)Regulations, 1983 (As amended upto 2001)	Rs. 100/-
3.	Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached hospitals) Regulations, 2013	Rs. 100/-
4.	Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) Regulations, 1989 (As amended upto 2016)	Rs. 100/-
5.	Establishment of New Medical Colleges (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission capacity by a Medical College) Regulations, 2011 (As amended upto 2018)	Rs., 100/-
6.	Homoeopathic Practitioners(Professional Conduct, Etiquette & Code of Ethics)Regulations, 1982 (As amended upto 2018)	Rs. 10/-

List of other Publications

S. No.	Name of Publication
1.	Quarterly Bulletin
2.	Profile– 2015
3.	Indian Journal of Homoeopathic Education & Practice (IJHEP) Official Publication of Central Council Homoeopathy (A Biennial Peer Reviewed Journal)

BOARD OF GOVERNORS OF CCH

S. No.	Name & Address	Designation	E-Mail
1.	Shri Nilanjan Sanyal, Central Council of Homoeopathy, 61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, Janakpuri, New Delhi - 110058	Chairperson	cchindia123@yahoo.com
2.	Shri Pramod Kumar Pathak, Additional Secretary, Ministry of AYUSH, AYUSH Bhawan, B Block, GPO Complex, INA, New Delhi-110023.	Member (Ex-officio)	as-ayush@gov.in
3.	Dr. Sanjay Gupta, M-1, Fortune Estate, Phase-I, Kolar Road,Damkheda, Bhopal, Madhya Pradesh	Member	sanjanhvi2@gmail.com
4	Dr. Anil Kumari Malhotra, J-27, Lajpat Nagar III, New Delhi-110024.	Member	anil.k.malhotra15@gmail.com
5	Dr. Anil Khurana, Deputy Director General, Central Council for Research in Homoeopathy, 61-65, Institutional Area, Opposite 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110058.	Member (Ex-officio)	anilnaman@rediffmail.com
6	Dr. Nityanand Tiwari, Sekhsaria Building, 40, Parekh Street, Girgaon, Mumbai-400 004.	Member	drnltiwari@gmail.com

OFFICERS OF THE CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

S. No.	Name of Officer	Designation
1.	Dr. Kumar Vivekanand	Registrar-cum-Secretary
2.	Dr. D. Samba Murthy	Inspector
3.	Dr. Tanya Aggarwal	Asstt. Secretary (Tech.)
4.	Shri Y. D. Vats	Asstt. Secretary (Admn.)
5.	Shri R. K. Nagpal	Office Supdt. (Admn. & Accounts)
6.	Sh. Khem Chand	Office Supdt. (Tech.)

प्रस्तावना

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का कार्यालय केवल नई दिल्ली में स्थित है। यह परिषद् केन्द्रीय सरकार द्वारा होम्योपैथी केन्द्रीयपरिषद् अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित की गई है। परिषद् होम्योपैथी में शिक्षा तथा साभ्यास से संबंधित योजनाएँ तैयार करती है एवं इन योजनाओं का कार्यान्वयन कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रार-सह -सचिव के नेतृत्व में किया जाता है ।

परिषद् में कुल 35 पद् मंजूर हैं। परिषद् के अधिकारियों में रजिस्ट्रार- सह-सचिव के अतिरिक्त एक निरीक्षक, दो सहायक सचिव तथा तीन कार्यालय अधीक्षक हैं। इन अधिकारियों की सहायता हेतु एक कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक-सह-प्रधान लिपिक, एक आशुलिपिक श्रेणी 'ग' एक आशुलिपिक श्रेणी 'घ', नौ प्रवर श्रेणी लिपिक, नौ अवर श्रेणी लिपिक, एक गेस्टेटनर ऑपरेटर, एक दफ्तरी तथा पॉच एम.टी.एस. हैं।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

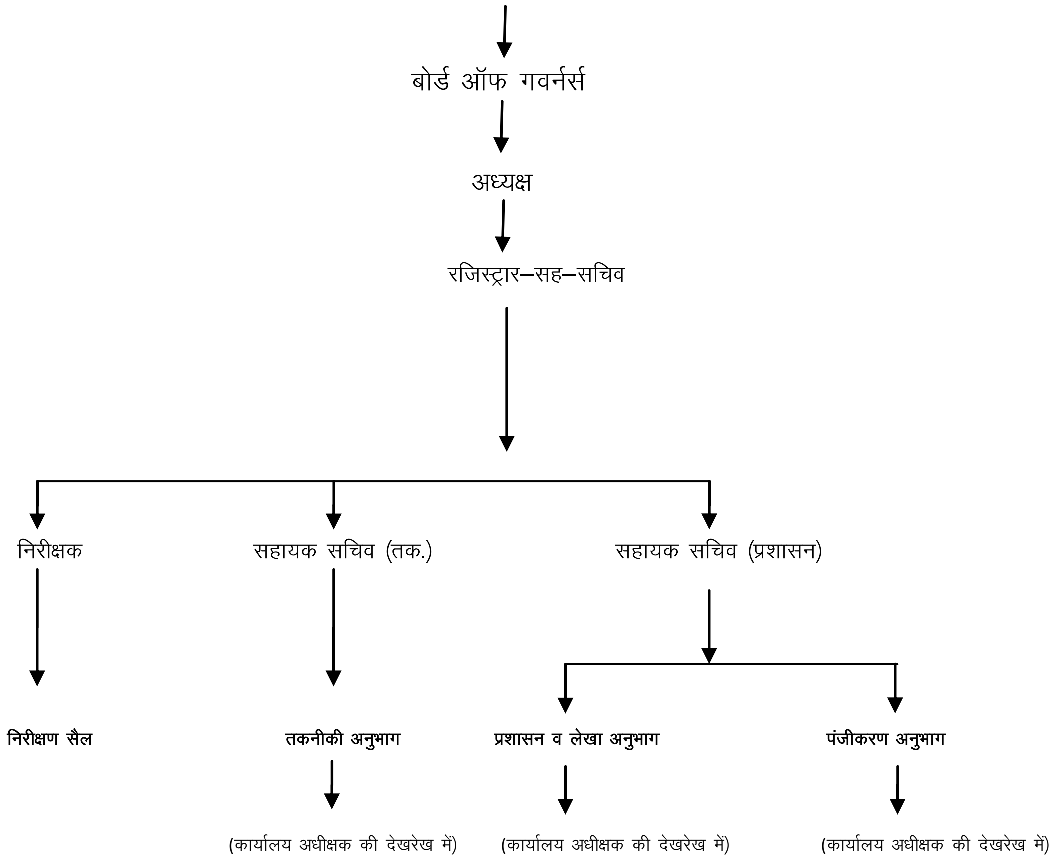

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

उद्देश्य

(i) केन्द्रीय पंजिका का रख रखाव करना ।

(ii) होम्योपैथी में शिक्षा के न्यूनतम स्तर निर्धारित करना ।

(iii) केन्द्रीय सरकार को नये महाविद्यालयों को खोलने, सीटों को बढ़ाने तथा नये अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु संस्तुति देना ।

(iv) केन्द्रीय सरकार को, आयुर्विज्ञानी अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने अथवा मान्यता रद्द करने हेतु संस्तुति देना,

(v) भारत से बाहर किसी राज्य अथवा देश के प्राधिकारियों से जिन्हें उस देश की विधि द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सकों की पंजिका का रख-रखाव करने का प्राधिकार प्रदान किया गया हो, से परस्परता के आधार पर होम्योपैथी चिकित्सीय अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु समझौता करना, ।

(vi) होम्योपैथी चिकित्सकों हेतु वृत्तिक आचारण, शिष्टाचार व आचार संहिता का निर्धारण करना ।

निरीक्षण

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् यह जॉचने के लिए कि महाविद्यालयों द्वारा न्यनूतम स्तर मापदण्ड व मानकों का अनुपालन किस स्तर तक किया है, महाविद्यालयों का निरीक्षण करती है ।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् समय-समय पर विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित बी. एच. एम. एस. पाठ्यक्रम तथा / अथवा एम. डी. (होम.) पाठ्यक्रमों हेतु विभिन्न केन्द्रों में आयोजित परिक्षाओं का भी निरीक्षण करती है ।

पंजीकरण

(अ) केन्द्रीय होम्योपैथी पंजिका

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी पंजिका का (भाग -I तथा भाग-II में) रख रखाव करती है जो कि राज्य होम्योपैथी पंजिकाओं पर आधारित होता है ।

(ब) सीधे पंजीकरण

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् उन इच्छुक अभ्यार्थियों को मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञानी अर्हता तथा राज्य पंजीकरण के आधार पर सीधे पंजीकरण प्रदान करती है जो कि इस हेतु आवेदन करते हैं। केन्द्रीय परिषद् इस प्रकार के सीधे पंजीकृत आवेदकों की अतिरिक्त अर्हता को सम्मिलित करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर भी कार्रवाई करती है ।

नये महाविद्यालयों, नये अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ करने तथा सीटों की संख्या में वृद्धि करने हेतु अनुमति

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् यदि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 12 क के अनुसार केन्द्रीय सरकार से नये महाविद्यालयों को खोलने, सीटों की संख्या में वृद्धि करना तथा नये अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु कोई संदर्भ प्राप्त हो तो आवश्यक प्रक्रिया के बाद केन्द्रीय सरकार को संस्तुति देती है ।

होम्योपैथी में आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता

केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय सरकार से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानो के अंतर्गत प्राप्त मामलों पर कार्रवाई कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण कर संस्तुति देती है । केन्द्रीय परिषद् का प्राधिकार है कि वह केन्द्र सरकार को परस्परता के आधार पर योजना तैयार कर किसी बाह्य देश द्वारा होम्योपैथी में प्रदत्त अर्हता को तृतीय अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु संस्तुति करे। मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम के अनुसार होम्योपैथी में कोई भी चिकित्सीय अर्हता जो कि उक्त अधिनियम के द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची में सम्मिलित हो, मान्यता प्राप्त होगी, के रुप में परिभाषित किया गया है ।

<u>आयुर्विज्ञानी अर्हता को रद्द करना</u>

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् जब भी निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर यह पाती है कि कोई महाविद्यालय(यों) द्वारा न्यूनतम मानक स्तरों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम या परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की प्रवीणता में कमी महसूस होती हो तो विश्वविद्यालय द्वारा उस महाविद्यालय के संबंध में प्रदत्त की जाने वाली अर्हता की मान्यता को रद्द करने हेतु परिषद् केन्द्रीय सरकार को संस्तुति करती है ।

<u>बैठकें</u>

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का शासी बोर्ड एवं इसकी विभिन्न समितियों की बैठकें होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 तथा इसके अधीन निर्मित विनियमों (केन्द्रीय सरकार को प्रेषित की जाने वाली संस्तुतियों सहित) आवश्यकतानुसार समय-समय पर विभिन्न मामलों पर मंत्रणा हेतु होती रहती हैं ।

उपलब्धियॉ

क्र सं	कार्यकलाप	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017—18
1	केन्द्रीय परिषद् तथा इसकी समितियों की बैठकें	29	33	31	26	40	कुल 36 बैठक (7उप समिति सहित)	कुल 49 बैठक (17उप समिति सहित)	29	30
2	निरीक्षण	120	90	196	147	367	252	73	251	269
3	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम की धारा12 क से संदर्भ में प्रेषित संस्तुतियॉ								12	
	नये महाविद्यालय	3	--	--	--	5	5	17	32	20
	नये / उच्च पाठ्यक्रम	6	6	--	1	6	4	10	07	06
	प्रवेश क्षमता में वृद्धि	--	2	1	1	2	2	05	03	07
4	अर्हता को मान्यता देने हेतु संस्तुति	12	6	5	6	10	11	14	13	13
5	सीधे पंजीकरण	210	406	433	377	633	512	392	367	937

बिक्री हेतु प्रकाशनों की सूची

क्र सं	प्रकाशन का नाम	शुल्क
1	होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम 1983 (2016 तक संशोधित)	रु0100 / —
2	होम्योपैथी (श्रेणीकृत डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम 1983 (2001 तक संशोधित)	रु0100 / —
3	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक स्तर) विनियम 2013	रु0100 / —
4	होम्योपैथी (स्नात्कोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम 1989 (2016 तक संशोधित)	रु0100 / —
5	नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना) विनियम 2011(2018 तक संशोधित)	रु0100 / —
6	व्यवसायी (वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता संहिता) विनियम1982(2018 तक संशोधित)	रु010 / —

अन्य प्रकाशनों की सूची

क्र सं	प्रकाशन का नाम
1	त्रैमासिक बुलेटिन
2	प्रोफ़ाईल 2015
3	होम्योपैथिक शिक्षा और अभ्यास का भारतीय जर्नल (IJHEP), केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का अधिकारिक प्रकाशन (एक अर्धवर्षीय)

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स

क्र0 स0	सदस्य का नाम	पद	ई–मेल
1	श्री निलांजन सान्याल, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, 61–65, संस्थागत क्षेत्र, 'डी' ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058	चेयरपर्सन	cchindia123@yahoo.com
2	श्री प्रमोद कुमार पाठक, अतिरिक्त सचिव, आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी–ब्लॉक, जीपीओ काम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली – 110023	सदस्य, पदेन	as-ayush@gov.in
3	डॉ0 संजय गुप्ता, एम–1 फॉर्चुन ईस्टेट, फेज– I, कोलर रोड, दमखेड़ा, भोपाल, मध्य प्रदेश	सदस्य	sanjanhvi2@gmail.com
4	डॉ0 अनिल कुमारी मल्होत्रा, जे–27, लाजपत नगर III, नई दिल्ली–110024	सदस्य	anil.k.malhotra15@gmail.com
5	डॉ0 अनिल खुराना, उप–महानिदेशक, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् 61–65, संस्थागत क्षेत्र, जनकपुरी,नई दिल्ली–110058	सदस्य , पदेन	anilnaman@rediffmail.com
6	डॉ0 नित्यानन्द तिवारी, शेखसारिया बिल्डिंग, 40 पारेख स्ट्रीट गिरगांव, मुम्बई–400004	सदस्य	drnltiwari@gmail.com

केन्द्रीय परिषद् के अधिकारी

क. सं.	अधिकारियों के नाम	पद्नाम
1	डॉ. कुमार विवेकानन्द	रजिस्ट्रार- सह-सचिव
2	डॉ. डी. सांबा मूर्थी	निरीक्षक
3	डॉ. तान्या अग्रवाल	सहायक सचिव (तक.)
4	श्री यज्ञदत्त वत्स	सहायक सचिव (प्रशा.)
5	श्री राजेन्द्र कुमार नागपाल	कार्यालय अधीक्षक (प्रशा व लेखा)
6	श्री खेमचन्द	कार्यालय अधीक्षक (तकनीकी)